महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—निरी / 170 / 35—86 / पार्ट—6 / 08 / 26828-927 दिनांकः— 19.10.2010

परिपत्र

विषयः— कारागार में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश एवं उपयोग की रोकथाम हेतु निर्देश।

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक निरी / 16926—17026 दिनांक 13.05.2008, क्रमांक निरीक्षण / 17027—127 दिनांक 13.05.2008, क्रमांक निरी0 / 170 / 85—86 / पार्ट—6 / 2008 / 927—1026 दिनांक 13.01.2009, क्रमांक निरी0 / निषिद्ध वस्तुएं / अजमेर / 10 / 1613—712 दिनांक 15.04.2010 द्वारा कारागार में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश तथा उपयोग से संबंधित प्रतिबन्ध को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे लेकिन इसके बावजूद बंदियों द्वारा मोबाईल के उपयोग किये जाने के प्रकरण निरन्तर सामने आ रहे हैं। मोबाईल उपकरणों के जेल में प्रवेश को रोकने के लिये प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मियों के साथ मिलकर प्रभावी रणनीति बनाई जानी जरूरी है जिससे कारागार में मोबाईलों के प्रवेश और उसके उपयोग पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।

2. कारागृह प्रभारी कारागृह में मोबाईल उपकरणों के प्रवेश एवं उपयोग को रोकने के लिये उत्तरदायी हैं तथा इस सबंध में उदासीनता अथवा समुचित पर्यवेक्षण का अभाव दंडनीय है।

3. आप द्वारा उठाये गये अन्य कदमों के साथ—साथ निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः—

(ए)केन्द्रीय और अन्य कारागारों पर जहाँ कि आर.ए.सी. / बोर्डर होम गार्ड्स नियोजित हैं उन स्थानों पर जेल में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों तथा वस्तुओं की सघन तलाशी आर.ए.सी. / बोर्डर होम गार्ड्स द्वारा ली जावे तथा तत्पश्चात् जेल कर्मियों द्वारा तलाशी ली जावे ताकि किसी प्रतिबंधित वस्तु का जेल में प्रवेश नहीं हो। प्रतिबंधित वस्तु पकड़ने वाले सुरक्षाकर्मियों को पुरस्कृत किया जाये तथा जिससे प्रतिबंधित वस्तु बरामद की जावे उसे दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(बी)तलाशी के लिए तैनात आर.ए.सी./बोर्डर होम गार्ड्स तथा जेलकर्मी नियमित रूप से बदले जायें तथा कोई भी कर्मी एवं अधिकारी निरन्तर इसी ड्यूटी पर नहीं रहे।

(सी)जेलकर्मियों की ड्यूटी प्रारंभ एवं समाप्त होने का समय आवश्यकतानुसार पुनः निर्धारित किया जाये ताकि बंदियों के प्रातः कारागार से जाने तथा सायंकाल कारागार में प्रवेश के समय जेलकर्मियों के आने अथवा जाने का समय अथवा ड्यूटी बदलने का समय नहीं हो ताकि कारागार के दरवाजे पर अनावश्यक आमद रफत नहीं रहे और बंदियों की तलाशी सुगमता से की जा सके।

(डी)वार्ड, बैरिक तथा बंदियों के सामान की आकस्मिक तलाशी को कारगर बनाने के लिये स्टाफ तथा बंदी अधिकारियों को सूचना एकत्रित करने तथा अधिकारियों को सूचित करने के लिये प्रेरित किया जाये।

(ई)इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक निरी0/170/85–86/ पार्ट–6 / 2008/ 10234–46 दिनांक 04.06.2010 द्वारा बंदियों के पास उपलब्ध अनावश्यक सामान को घटाने के निर्देश दिये गये थे उसकी पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें ताकि बंदियों के पास सीमित सामान होने पर बेहतर तलाशी संभव हो सके।

(एफ)बंदियों को आवंटित वार्ड और बैरिकों को नियमित रूप से बदलें तथा नये वार्ड और बैरिक में स्थानान्तरण के समय सघन तलाशी सुनिश्चित करें। जिन व्यक्तियों पर मोबाईल रखने अथवा उपयोग करने का संदेह हो उन्हें एक वार्ड अथवा बैरिक में ज्यादा समय तक नहीं रखा जावे।

(जी)कारागार के जिन क्षेत्रों में मेनवाल के बाहर से प्रतिबन्धित वस्तुएं फेंकने की संभावना हो उन क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाई जाये।

लगातार.... 3

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

(एच)मोबाईल उपकरण बरामद होने पर जॉच कर स्टाफ, बंदी अधिकारी, बंदी को चिन्हित किया जावे तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(आई)मोबाईल उपकरण बरामद होने पर संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को मय विवरण सूचित किया जाकर जॉच करवाये और इस जॉच के माध्यम से उपकरण के जेल में प्रवेश का माध्यम ज्ञात करवाने का प्रयास करें।

4. समस्त कारागृह प्रभारीगण द्वारा समस्त संभव कदम उठाये जाकर मोबाईल उपकरणों के जेल में प्रवेश एवं उपयोग की रोकथाम एवं बरामदगी हेतु क्रियाशील कार्यवाही की जाये। इस संबंध में उदासीनता तथा शिथिलता के लिए दोषी पाये जाने वाले कर्मियों को दण्डित किया जाये।

5. आदेश की सख्ती से पालना की जाये।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार,क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर–बीकानेर) रेंज–जोधपुर एवं (कोटा–उदयपुर) रेंज–उदयपुर
2. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह,राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी'श्रेणी /महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
4. समस्त प्रभाराधिकारी,उप कारागृह,राजस्थान
5. प्रभारी,बाल बंदी सुधारगृह,घूघरा,अजमेर

19/X/2010

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर